झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 1817/2023

तनवीर रज़ा @आफताब @मोहम्मद तनबीर रज़ा पिता मुर्तजा मोहम्मद, उम्र- लगभग 34 वर्ष, निवासी- सायरा मंजिल, मिल्लत कॉलोनी, डाकघर और थाना- बारियातू, जिला- रांची

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. शगुफ्ता नाज पति तनवीर रजा @आफताब, उम्र- लगभग 27 वर्ष पिता स्वर्गीय मंसूर आलम, निवासी- मारवाड़ी कॉलेज के पास, मुख्य मार्ग, रांची, डाकघर- जनरल पोस्ट ऑफिस, थाना - कोतवाली, जिला-रांची

2. अलीशा रज़ा, पिता तनवीर रज़ा, उम्र लगभग 4 महीने, 23 दिन, शगुफ्ता नाज (माता) द्वारा प्रतिनिधित्व, निवासी- मारवाड़ी कॉलेज के पास, मुख्य मार्ग, रांची, डाकघर- जनरल पोस्ट ऑफिस, थाना - कोतवाली, जिला-रांची

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिएः दीपक कुमार प्रसाद,अधिवक्ता

प्रतिवादियों के लिए: श्री राहुल पांडे, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना।

2. इस आपराधिक विविध याचिका को दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर किया गया है, जिसमें विद्वत अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय- I द्वारा दिनांक 18.05.2023 को पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। जिससे और जिसके अंतर्गत मूल रखरखाव वाद संख्या 132/2022 के संबंध में अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय-I, रांची, के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश I, ने अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया है। 8, 000/- प्रति माह याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को भुगतान किया जाएगा जहाँ प्रतिवादी संख्या 1, याचिकाकर्ता की पत्नी है और प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता की पुत्री है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विद्वत अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय- I, रांची के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के विवाह के समय प्रतिवादी संख्या 1 के माता-पिता ने तीन लाख रूपये मूल्य के सोने और चांदी के गहने दिए थे। याचिकाकर्ता रांची के लालपुर चौक में स्थित एक कोचिंग सेंटर का मालिक है और अपने घर पर पचास से अधिक छात्रों को निजी ट्यूशन प्रदान करता है और रूपये 1,00,000 प्रति माह अर्जित करता है। याचिकाकर्ता के पिता एक सेवानिवृत्त प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जिन्हें 50,000 रुपये से अधिक की पेंशन प्रतिमाह मिल रही है। याचिकाकर्ता के पास जहानाबाद में कई भू-संपत्तियां हैं, जिनसे वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपये की आय अर्जित करता है , लेकिन प्रतिवादियों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए उन्होंने मासिक रखरखाव राशि के लिए रूपये 35, 000/- देने की प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता ने विद्वत अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय- 1, रांची के समक्ष अपने जवाब में तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिमाह रुपये 10,000 का वेतन अर्जित करते हुए एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम कर रही है और कई छात्रों को निजी ट्यूशन भी प्रदान करती है और प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता को स्वेच्छा से छोड़ दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह निजी ट्यूशन देकर अपनी आजीविका कमा रहा है और महज रूपये 6,000 रुपये की मामूली राशि कमाता है। याचिकाकर्ता ने अपने प्रकटीकरण हलफनामे में खुलासा किया है कि उसका मासिक खर्च रूपये 8000/- प्रति माह है और कोई भी याचिकाकर्ता पर निर्भर नहीं है। विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय- 1, रांची ने

माना कि प्रतिवादी संख्या- 1 याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म उनकी शादी से हुआ है। दोनों प्रतिवादी याचिकाकर्ता से अलग रह रहे हैं। वप्रतिवादी संख्या 1 ने कहा है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह अपनी आजीविका के लिए बड़ी कठिनाई का सामना कर रही है। विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय-I, रांची ने कहा कि यह असंभव है कि एक व्यक्ति जो महज 6,000 रुपये की मामूली राशि कमाता है और रूपये 8000/- प्रति माह अपने ऊपर व्यय करता है, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के दावे को विफल करने के लिए अपनी आय को छुपाया है और याचिकाकर्ता अपने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कागज की कोई चिट प्रस्तुत करने में विफल रहा कि प्रतिवादी संख्या 1 शिक्षिका के रूप में काम कर रही है। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय- 1, रांची ने कानून के तय किए गए सिद्धांत पर ध्यान दिया कि एक सक्षम शरीर वाले युवक को अपनी पत्नी और बच्चे को उचित रूप से बनाए रखने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम माना जाना चाहिए और उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह पारिवारिक मानक के अनुसार उन्हें बनाए रखने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त कमाई करने की स्थिति में नहीं है और जब पति न्यायालय को अपनी आय की सटीक राशि का खुलासा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अनुमान आसानी से अनुमत होगा, जैसा कि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चंद्र प्रकाश बोध राज बनाम शिला रानी चंदर प्रकाश के मामले में एआईआर 1968 दिल्ली 174 में रिपोर्ट किया गया है और उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को रूपये 8000/- प्रति माह कुल मिलाकर, प्रतिवादी संख्या- और प्रतिवादी संख्या- 2 को प्रतिमाह प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक अंतरिम रखरखाव के रूप में भुगतान करे।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंतरिम भरण-पोषण की राशि अत्यधिक है और याचिकाकर्ता की भुगतान करने की क्षमता से परे है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए।

5. दूसरी ओर प्रतिवादियों के लिए विद्वान् अधिवक्ता दिनांक 18/05/2023 के आदेश को जो विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय-1, रांची द्वारा पारित किया गया है का पुरजोर विरोध करता है जो भरण-पोषण वाद संख्या 132/2022 से संबंधित है और दिनांक 10/10/2023 का आदेश जो इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था की और ध्यान आकर्षित

करते हैं जिसमें अग्रिम जमानत याचिका संख्या 7861/2023 में याचिकाकर्ता ने बरियातू थाना में दर्ज कांड संख्या 52/2022 के संबंध में अग्रिम जमानत अर्जी इस न्यायालय में लगाई थी जो भारतीय दंड सहिंता, 1860 की धारा 498- क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अपराध कारित से सम्बंधित है और उसमें याचिकाकर्ता ने सूचक को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित भरण-पोषण राशि को अदा करने का वचन दिया और जहां तक वह रूपये 8,/- प्रति माह अंतरिम रखरखाव की राशि का भी भुगतान किया है और अब तक, याचिकाकर्ता ने रूपये 8,000/- अंतरिम भरण-पोषण की राशि का प्रति माह भुगतान किया है और दिनांक 18/05/2023 के आदेश में कोई अवैधता नहीं है जो विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय-I, रांची द्वारा पारित किया गया है जो भरण-पोषण वाद संख्या 132/2022 से सम्बंधित है और चूंकि याचिकाकर्ता ने इस विविध आपराधिक याचिका में किसी प्रकार की अवैधता का आरोप लगाया है और चूँकि याचिकाकर्ता ने प्रति माह रूपये 8,000 का अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का वचन दिया और जैसा कि वह पहले ही कर चुका है का भुगतान करते रहे हैं, इसलिए यह आपराधिक विविध याचिका एक तुच्छ और बिना योग्यता की है जिसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

6. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों के माध्यम से सावधानीपूर्वक जाने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम भरण- पोषण की राशि का भुगतान करने का वचन दिया था जो रूपये 8,000 प्रति माह के हिसाब से विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय-I, रांची द्वारा आदेशित किया गया था आज तक, निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता ने लगातार भरण-पोषण की राशि का भुगतान किया है जो विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय-I, रांची द्वारा पारित किया गया है और याचिकाकर्ता ने अपनी सटीक आय को दबा दिया है और अपनी आय को कम दिखाने के लिए रुपये 6,000/- प्रति माह की आय का तर्क दिया है जबकि उसका खर्च रूपये 8000/- प्रति माह है। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कारण नहीं देखता है जो दिनांक 18/05/2023 को विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय-I, रांची द्वारा मूल भरण-पोषण संख्या 132/2022 में पारित किया गया है।

7. तदनुसार यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाता है।

निर्णय की तिथि: 05/12/2023 (न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।